न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –105/2019 (अपील)

GCMS No. 2019/00273

परसराम बैरवा पुत्र स्व. श्री आनन्दीलाल जी बैरवा निवासी सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी , कलेक्ट्रेट कोटा

–अप्रार्थी

अपील विरूद्व आदश दिनांक 06.11.2019 जिला रसद अधिकारी, कोटा, अन्तर्गत राजस्थान खाद्यन्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत अपीलांट के निरस्त लाईसेन्स को बहाल करने उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 24728 ग्राम सावनभादो ग्राम पंचायत सावनभादो शॉप नं. 497 तहसील कनवास जिला कोटा

निर्णय

दिनांक– 13.10.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश कमांक/रसद/एफपीएस/2019/489 दिनांक 06.11.2019 से अपीलांट श्री परसराम बैरवा उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 24728 ग्राम सावनभादो ग्राम पंचायत सावनभादो तहसील कनवास दुकान नं. 497, कोटा का लाईसेंस निरस्त किया गया है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2019 को पेश कर कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा बिना तथ्य व विधिक आधार के सहवन का आधार बनाकर सरसरी तौर पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 6.11.2019 के आदेश से निरस्त किया गया है जबकि स्वयं अपीलान्ट द्वारा श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा के समक्ष अपीलान्ट की सुचारूरूप से चल रही शॉप को प्रार्थना पत्र देकर बेटियों की शादी करने एवं स्वयं का इलाज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था जिस पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दौ माह के लिये वैकल्पिक व्यवस्था इन्द्र कुमार उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र संख्या 914 ग्राम पंचायत सावनभादों की दी गई थी । वापिस अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर माननीय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आदेश कमांक/रसद एफ.पी.एस/2019/414 दिनांक 18.2.2019 द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त कर वापिस अपीलान्ट की शॉप चालू की गई । इससे यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि अपीलान्ट की शॉप सहवन से चालू न

जिला कलेक्टर
कोटा

होकर नियमानुसार विधिवत रूप से चालू थी और माननीय जिला रसद अधिकारी द्वारा मनमानी पूर्ण व विधि विरूद्व कृत्य करते हुये बिना कोई तथ्य और बिना आधार के मात्र सहवन शब्द का हवाला देकर अपीलान्ट की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 6.11.2019 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है । अपीलान्ट नियमितरूप से उक्त शॉप पर अपनी सेवायें दे रहा है, नियमानुसार सामग्री वितरण कर रहा है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी नहीं कर रहा है । अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना एक तरफा आदेश प्रदान किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा का आदेश दिनांक 6.11.2019 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का लाईसेन्स प्राधिकार पत्र उचित मूल्य की दुकान पोस कोड 24728 शॉप नं. 497 ग्राम एवं पंचायत सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा को बहाल करने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । पेरोकार रसद व वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा बिना तथ्य व विधिक आधार के सहवन का आधार बनाकर सरसरी तौर पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 6.11.2019 के आदेश से निरस्त किया गया है जबकि स्वयं अपीलान्ट द्वारा श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा के समक्ष अपीलान्ट की सुचारूरूप से चल रही शॉप को प्रार्थना पत्र देकर बेटियों की शादी करने एवं स्वयं का इलाज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था जिस पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दौ माह के लिये वैकल्पिक व्यवस्था इन्द्र कुमार उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र संख्या 914 ग्राम पंचायत सावनभादों की दी गई थी । वापिस अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर माननीय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आदेश कमांक/रसद एफ.पी. एस/2019/414 दिनांक 18.2.2019 द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त कर वापिस अपीलान्ट की शॉप चालू की गई । इससे यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि अपीलान्ट की शॉप सहवन से चालू न होकर नियमानुसार विधिवत रूप से चालू थी और माननीय जिला रसद अधिकारी द्वारा मनमानी पूर्ण व विधि विरूद्व कृत्य करते हुये बिना कोई तथ्य और बिना आधार के मात्र सहवन शब्द का हवाला देकर अपीलान्ट की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 6.11.2019 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है ।

5. पेरोकार रसद द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि श्री परसराम बैरवा उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सावनभादो द्वारा 2 माह के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु एक वर्ष के समय के उपरान्त भी दुकान संचालन हेतु उपस्थित नहीं हुआ । कोटा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवंटित सामग्री के वितरण में रूचि नहीं लेने एवं अन्य कारणों से उचित मूल्य दुकानदारों को समाचार पत्रों के माध्यम से सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था । सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी श्री परसराम बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत

सावनभादौ इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए । अनुपस्थित उचित मूल्य दुकानदारों को जारी प्राधिकार पत्र नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यालय के आदेश क्रमांक/रसद/एफपीएस/2018/332 दिनांक 21.3.2018 द्वारा निरस्त किया गया था । श्री परसराम बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सावनभादौ के द्वारा 2 वर्ष के उपरान्त दुकान के पुनः संचालन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें पूर्व में दुकान के निरस्त किये जाने की कोई जानकारी नहीं दी गयी । जिला रसद अधिकारी के द्वारा प्रार्थना पत्र पर विचार कर उचित मूल्य दुकानदार श्री परसराम बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सावनभादौं पर जुर्माना लगाते हुए दुकान बहाली के आदेश जारी कर दिये गये । बहाली आदेश जारी होने के उपरान्त जिला रसद अधिकारी के पूर्व में दुकान निरस्त होने का तथ्य संज्ञान मे आते ही एवं निरस्त दुकान को बहाली हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महो0 के सक्षम अधिकारी होने के कारण कार्यालय द्वारा दुकान को पुनः निरस्त कर दिया गया ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 24728 शॉप नं. 497 ग्राम एवं पंचायत सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा को इस आधार पर निरस्त किया गया था कि जिला रसद अधिकारी कोटा के आदेश क्रमांक/रसद/एफपीएस/2019/414 दिनांक 18.2.2019 द्वारा सहवन से श्री परसराम बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 24728 ग्राम सावनभादों का की वैकल्पिक व्यवस्था श्री इन्द्र कुमार उचित मूल्य दुकानदार, के साथ समाप्त की गई थी, तत्पश्चात आदेश दिनांक 6.11.2019 जारी कर पूर्व आदेश दिनांक 18.2.2019 से वैकल्पिक व्यवस्था सहवन से समाप्त करना मानते हुए पुनः अपीलांट का प्राधिकार पत्र पोस कोड 24728 निरस्त कर दिया गया ।
7. अपीलांट पुनः दुकान को सुचारूरूप से संचालन हेतु आतुर है तथा अपीलांट की आजीविका इसी उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर होने से तथा अपीलांट अनुसूचित जाति का सदस्य है । अपीलांट की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाने हेतु प्रकरण पुनः जिला रसद अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है ।
8. **अतः** अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा का आदेश दिनांक 6.11.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पुनः सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए तथा अपीलांट राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) नियमों व शर्तो की पालना हेतु सहमत एवं सक्षम होने की जांच कर पुनः नवीन निर्णय पारित करें ।
9. निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा